

लापरवाही | बेधड़क रॉंग साइड चढ़ और उतर रहे वाहन चालक

फलाईओवर में राहगीरों की मनमानी चरम पर



रखे गए बोर्ड हुए दरकिनार

उल्टी दिशा में जाती कार

जबलपुर, नवभारत। शहर में बने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फलाईओवर पर इन दिनों सफर सुहाना कम और खतरनाक ज्यादा हो गया है। यातायात नियमों की सर्रास अनदेखी के कारण यह फलाईओवर अब हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। वाहन चालक सड़क सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को समझे बिना ही तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रहे हैं, जिससे हर पल गंभीर

दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। फलाईओवर पर जहां से मुड़ने की सख्त मनाही है, वहां से लोग यू-टर्न ले रहे हैं और प्रतिबंधित रैंप से भी वाहनों को चढ़ाया जा रहा है। स्थिति यह है कि यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए चेतावनी बोर्ड और जागरूकता अभियान का भी लोगों पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। फलाईओवर के डिजाइन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए

मदन महल स्टेशन और बल्देवबाग जैसे क्षेत्रों में विशेष रैंप बनाए गए हैं। मदन महल स्टेशन के पास का रैंप रानीताल से आने वाले वाहनों को शास्त्री ब्रिज की ओर भेजने के लिए है, जहां से ऊपर चढ़ना पूरी तरह वर्जित है। इसके बावजूद, लोग जान जोखिम में डालकर वहां से वाहन ऊपर ले जा रहे हैं, जिसके कारण कई बार आतम-सामने की भिड़ंत हो चुकी है।



खुबी रॉंग साइड

राइट टाउन वाले रैंप का भी यही है हाल

बता दे कि यही हाल बल्देवबाग से राइट टाउन की ओर उतरने वाले रैंप का है। यहां यातायात सुगम बनाने के लिए बनाई गई रोटीरी का पालन करने के बजाय चालक रोटीरी के आगे से ही गलत तरीके से टर्न ले रहे हैं। इस मनमानी के कारण न केवल छोट-बड़े हादसे हो रहे हैं, बल्कि रोटीरी के आसपास जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। दमोह नाका से दशमेश्वर द्वार तक बने इस फलाईओवर में कुल आठ रैंप हैं, जिन्हें अलग-अलग दिशाओं के लिए डिजाइन किया गया है। फलाईओवर के ऊपर कहीं भी यू-टर्न की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन चालक नियमों को दरकिनार कर अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी वाहन मोड़ रहे हैं। पूर्व में यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई और जागरूकता अभियान के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन सख्ती कम होने ही लोग फिर से पुरानी धर पर लौट आए हैं। यदि समय रहते इन लापरवाहियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह आधुनिक निर्माण शहर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।

सीवेज का पानी नर्मदा नदी में बहाने को चुनौती

हाईकोर्ट ने पीएस, जबलपुर नि सहित अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी में प्रतिदिन करोड़ों लीटर अनुपचारित सीवेज का पानी बहाने के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ को युगलपीठ ने लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय विकास सचिव, नगर निगम जबलपुर, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। युगलपीठ ने उक्त मामले को पूर्व से लंबित याचिका के साथ संलग्न सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं।

मूत्र के माध्यम से नदी के पानी में प्रवेश करते हैं, जो बिना किसी उपचार के प्रतिदिन जबलपुर स्थित नरबुद्धा नदी में बहाया जाता है। नर्मदा में लगातार अनुपचारित सीवेज, नगरपालिका अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों को बहाया जा रहा है। चूंकि नर्मदा नदी एक बड़ी आबादी के लिए पेयजल का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए इसके प्रदूषण से गंभीर स्वास्थ्य खतरा और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जबलपुर के जल में आमतौर पर क्षारीय (उच्च पीएच) पानी पाया जाता है। नर्मदा नदी और इसकी सहायक

नदियों जैसे परियट में पीएच स्तर अक्सर आदर्श 8.5 सीमा से अधिक होता है। जल जीवन मिशन के तहत किए गए आंकलन पर आधारित एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के 36.7 फीसदी नमूने असुरक्षित और पीने योग्य नहीं पाए गए हैं। दूषित पेयजल के कारण हुए डायरिया के प्रकोप के बीच इंदौर में जल प्रदूषण संकट उत्पन्न हुआ, जहां करीब 30 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जन स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति पर रोक

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने जिला पंचायत में संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के आदेश को प्रथम दृष्टया अनुचित पाते हुए क्रियान्वयन रोक लगा दी है। एकलपीठ ने मामले में राज्य शासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। यह मामला याचिकाकर्ता दमोह निवासी दीपिका यादव की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने याचिकाकर्ता को वर्ष 2023-24 और 2024-25 की वार्षिक गोपनीय चरित्रवाली मतांकन सही नहीं पाए जाने पर 16 जनवरी 026 को बिना कोई नोटिस दिए सेवा समाप्ति का आदेश पारित कर दिया।

यातायात में बाधित अवैध कब्जों पर भारी अतिक्रमण दस्ता

साफेक धाम, अधारताल, सुहागी सिविक सेंटर में कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने साफेक धाम रोड और अधारताल-सुहागी रूट पर टेले-टर्पों को हटाकर मार्ग को चौड़ा और आवागमन के अनुकूल बनाया गया। वहीं सिविक सेंटर गार्डन और समदंडिया मॉल के आसपास से अनधिकृत कब्जे हटाए गए, जिससे अब आने-जाने वाले नागरिकों को पार्किंग और पैदल चलने में असुविधा होगी। इसके साथ ही अमले ने कछपुरा ब्रिज और मिलक स्क्रीम से अधारताल तिराहे तक की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर दुर्घटनाओं की आशंका



को कम किया है। धनी की कुटिया के पास फेंसिंग के जरिए किए गए अवैध कब्जे को हटाकर सार्वजनिक भूमि को भी मुक्त कराया गया। अतिक्रमण प्रभारी मनीष तड़से ने बताया कि नगर निगम की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर नीतालेम बिठाया। टीम ने न केवल अतिक्रमण हटाया, बल्कि अतिक्रमणकारियों को भविष्य में सहयोग करने और शहर की

व्यवस्था बनाए रखने की सकारात्मक हिदायत भी दी। कार्रवाई के समय सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अखिलेश सिंह भदौरिया, श्रीमती एकता रघुवंशी, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी दीपेंद्र सिंह रावत, दल प्रभारी एवं कर्मचारीगण जोसफ प्रवीण, अंकित सहित अन्य संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा।

सीएमएचओ ने कराई जांच दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर। तत्कालीन जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जबलपुर के अधिकारी विजय पाण्डेय को ख्याति अपहानि करने वाली दस्तावेजों को बनाकर शिकायत करने वाले सुभाष चंद्रा के खिलाफ ओमती पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीएमएचओ द्वारा कराई गई जांच और प्रतिवेदन पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

स्वास्थ्य अधिकारी को बदनाम करने बनाये थे जाली दस्तावेज

पुलिस के मुताबिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रतिवेदन मिला। जिसके अनुसार सुभाष चंद्रा पिता स्व.छेदीलाल 75 वर्ष, निवासी जवाहर नगर, आधरता द्वारा



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधिकारी विजय पाण्डेय को पद से हटाने और उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनकी अंकसूची के सत्यापन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। जांच में पाया गया कि सुभाष चंद्रा द्वारा विजय पाण्डेय की अंकसूची से संबंधित सत्यापन पत्र की कृत्रिमता कर विजय पाण्डेय को ख्याति की

अपहानि करने के प्रयोजन से उसका दुरुपयोग कर शिकायत की गई थी जिसके बाद सुभाष चंद्रा पिता स्व. छेदीलाल 75 वर्ष निवासी जवाहर नगर आधरताल खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल से जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सुभाष चंद्रा द्वारा 11 सितंबर 2025 को कार्यालय क्लिकटर जबलपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर को शिकायत के साथ भेजा गया पत्र उनके एवं अन्य द्वारा कृत्रिम है। यह कृत्रिम पत्र सुभाष चंद्रा द्वारा अपने फेसबुक पेज में भी शेयर किया गया था।

फर्जी तरीके से पंचायत की एनओसी-नक्शा किया पास

पूर्व सरपंच ने बरेला थाने में दर्ज कराई एफआईआर

जबलपुर। फर्जीतरीके से पंचायत की एनओसी-नक्शा पास कराये जाने की एफआईआर पूर्व सरपंच ने बरेला थाने में दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम श्रीमति अनिता सोनकर 60 वर्ष निवासी ग्राम सालीबाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2015 से 2022 तक ग्राम पंचायत सालीबाड़ा की ग्राम सरपंच थी वह मोबाइल नहीं चलाती है उसका लड़का नितिन सोनकर का

मोबाइल किसी काम के लिए उपयोग करती है, उसने जून में चुनाव के बाद नये सरपंच को पदभार दे दी थी इसके बाद 23 जनवरी 22 को ग्राम पंचायत सालीबाड़ा की सील एवं उसके हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत सचिव की सील एवं हस्ताक्षर का उपयोग करके कालिका यादव पिता कैलाश यादव निवासी गधेरी दुमरा रोड ने नाम पर कृत्रिम फर्जी तरीके से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पंचायत की एनओसी एवं नक्शा पास किया गया है उसे इस बात की जानकारी प्राप्त होने पर अब रिपोर्ट कराई है।

दिन में धूप-बादल, शाम को चली ठंडी हवाएं

जबलपुर। बुधवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। दिन में धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी चली। शाम ढलते ही मौसम ने करवट बदली। ठंडी हवाएं चली। जिससे डंड का एहसास बढ़ गया। अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। सुबह के चक आद्रता 87 और शाम को 65 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तरी हवाएं पांच किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग को माने तो वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तर हरियाणा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर मध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। इससे प्रेरित चक्रवातीय परिसंचरण, पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भाग के ऊपर मध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 260 किमी प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पट्टी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। एक अन्य नया पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी बर्दाश्त : सीईओ

नवभारत, जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं का सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने जिला प्रशासन द्वारा निरंतर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को मॉडल स्कूल में परीक्षाओं के लिये निर्धारित किये गये सभी 100 परीक्षा केंद्रों में नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला पंचायत के सीईओ आंधिषेक गहलोत ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुये केन्द्राध्यक्षों एवं सहायक



केन्द्राध्यक्षों को सौंपे गये दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिये। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा का संचालन पूर्णतः व्यवस्थित और निष्पक्ष हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर सहायक संचालक एवं जिला परीक्षा प्रभारी आर के बंधन द्वारा जिले के सभी 100 परीक्षा केंद्रों में नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं

जिले में निर्धारित किए गए 100 परीक्षा केंद्र

प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने जानकारी दी कि बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ होकर 7 मार्च तक संचालित होगी। जिले में कुल 100 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 96 नियमित एवं 04 निजी परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इनमें से 04 परीक्षा केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहाँ प्रश्नको की नियुक्ति कर दी गई है। कक्षा दसवीं में कुल 23 हजार 088 परीक्षार्थी एवं कक्षा बारहवीं में 18 हजार 640 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने केन्द्राध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे परीक्षा के दौरान कलेक्टर प्रतिनिधि के साथ निर्धारित समय पर संबंधित थाने से प्रश्नपत्र प्राप्त कर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित रूप से पहुँचाएँ तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टियाँ समय पर सुनिश्चित करें।

गारमेट्स दुकान में जूते पहनकर अंदर घुसे ग्राहक पर धारदार हथियार से हमला

जबलपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत नरधैया में गारमेट्स दुकान पर जूते पहनकर दुकान के अंदर घुसने पर उपजे विवाद पर ग्राहक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सात्विक भोजक 28 वर्ष निवासी सराफा खटीक मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह विजयनगर अहिंसा चौक में हॉस्टल संचालन का काम करता है। जीजा राहुल पटारिया को कपड़े दिलाने के लिये बड़े बाबा गारमेट्स नरधैया में गया था वह एवं उसके जीजा बड़े बाबा गारमेट्स दुकान पर पहुँचे और अंदर गये तो दुकान का संचालक खेमचंद जैन जूते पहनकर दुकान के अंदर आने की बात को लेकर कहा सुनी हो गयी तभी साक्षर जैन अंदर से आया और उसे दुकान के बाहर ले जाकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट करते हुये बोला कि दुकान आया है तो खरीदी कर नहीं तो पैसे देकर जाना पड़ेगा उसने कहा कि ऐसी क्या जबरदस्ती है और बाहर आने लगा तो साक्षर जैन ने धारदार हथियार से हमलाकर पेट में चोट पहुँचा दी उसके जीजा एवं अन्य लोगों ने बीच बचाव किया तो साक्षर जैन जान से मारने की रिपोर्ट पर जान से मारने की धमकी दी।

बेलपटार फाटक रहेगा बंद

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत भिटीनी और बिक्रमपुर रेल खंड के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक 299 बेलपटार गेट पर आवश्यक रखरखाव एवं ओवरहॉलिंग का कार्य किया जाना है। इस कारण यह गेट 6 फरवरी को सुबह 8 बजे से 10 फरवरी की शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। जबलपुर की ओर आने-जाने वाले वाहनों को भेड़ाघाट चौराहे से चरगावां मार्ग होकर गोडगाँव-नरसिंहपुर रोड को उपयोग करना होगा।

लापता युवक की खेत में फंदे पर लटकी मिली लाश

जबलपुर। कुंडम थाना अंतर्गत बघराजी में लापता युवक की लाश खेत में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मृतक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को सुंदर सिंह 35 वर्ष निवासी ग्राम रहटा चौकी बघराजी ने सूचना दी कि उसका भांजा दुर्गेश उर्फ छंगू 23 वर्ष

टूटलीर लेकर श्रमिक हुआ फरार

जबलपुर। सजीवनी नगर थाना अंतर्गत साईं कौलीनी में एक श्रमिक एडिड लाने का बहाना बनाकर टूटलीर लेकर फरार हो गया। जागृति मिश्रा निवासी साईं कौलीनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि तेवर चौक यादव कालोनी से अपने घर की प्लाई व अन्य काम कराने के लिये एक श्रमिक को एक हजार रूपय मजदूरी की बात कर लेकर आई थी जो पति की गाड़ी क्रमांक एमपी 20 एरवाय 0193 मांगकर एडिड लेने के लिये गया था जो वापस नहीं आया।

रंगदारी नहीं देने पर रेस्टोरेंट संचालक को चाकू से गोदा

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत आदर्श मार्केट में रंगदारी न देने पर बदमाश ने रेस्टोरेंट संचालक को चाकू से गोद दिया। पुलिस ने बताया कि आशीष सिंह ठाकुर 39 वर्ष निवासी गांधी व्यायाम शाला रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आदर्श मार्केट में हाट एण्ड न्यू नाम से रेस्टोरेंट चलाता है। मंगलवार रात लगभग 11 बजे दुकान बंद



करने के बाद पूजा करने के लिये दुकान के पास स्थित पीपल के नीचे हनुमान मंदिर गया था उसी दौरान स्कूटी से समर सोनकर निवासी

छोटा हाथी की टक्कर से जूड़ा घायल

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत पकता मार्केट के पास बुधवार सुबह छोटा हाथी की टक्कर से जूनियर डॉक्टर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं वाहन चालक भाग निकला। पुलिस के मुताबिक अंश सिंह मार 20 वर्ष निवासी ब्रजमोहन नगर रामपुर छापर थाना गोरखपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह होमयोपैथिक मेडिकल कोलेज में पढ़ाई कर रहा है।

गंदगी-सिंगल यूज प्लास्टिक फैलाने वालों पर सख्ती



नवभारत, जबलपुर। गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को संभाग क्रमांक 5, 7, 13 और 14 की संयुक्त टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण

किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस अभियान के दौरान टीम ने मुख्य रूप से प्रतिबंधित पॉलीथिन और डिस्पोजल का उपयोग, स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी कर खुले में

मांस बेचना, सड़क किनारे निर्माण और विध्वंस का मलबा फैलाना, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना आदि कार्यवाही करते हुए 29 चालान किए एवं 12 हजार रुपये सॉफ्ट फाइन किया गया। साथ ही 5 किलो पॉलीथिन और 5 पैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल जप्त किए। कार्यवाही में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन यादव, सी.एस.आई. रवींद्र ठाकुर, हर्षा पटेल, राधा पवार, मोनिका तुमराम, सौरभ तिवारी, संदीप पटेल, एस.आई. कोडुलाल, अभिषेक विश्वारी, अभिषेक मिश्रा, ई.वी.एम. मुख्यालय से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक आरसे वर्मा, आलोक जोशी, संजू डोनेकर आदि उपस्थित रहे।

सौगात 312 करोड़ की लागत से घर-घर नर्मदा जल पहुंचाने का है लक्ष्य

हर घर नर्मदा जल पहुंचाने की योजना के कार्यों में तेजी : निगमायुक्त



नवभारत, जबलपुर। शहर के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। 'अमृत फेज-2' जल प्रदाय योजना के अंतर्गत हर घर तक मां नर्मदा का शुद्ध जल पहुंचाने की कवायद ने अब रफ्तार पकड़ ली है। निगमायुक्त राम प्रकाश

अहिरवार ने ललपुर पहुंचकर निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

इस दौरान निगमायुक्त ने बताया कि लगभग 312 करोड़ रूपय की लागत से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के उन क्षेत्रों में भी नर्मदा जल पहुंचाना है, जो अब तक इससे वंचित थे।

ललपुर में तैयार हो रहा अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

ललपुर स्थित निर्माण स्थल पर चल रहे कार्यों का जायजा लेते हुए निगमायुक्त ने परियोजना की प्रगति पर संतोष जताया और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। और कहा कि ललपुर में बन रहे इस प्रोजेक्ट में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यहाँ इंटेकवेल 135 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की विशाल क्षमता का इंटेकवेल तैयार हो रहा है। वहीं जल शोधन और आपूर्ति के लिए 605 केवी क्षमता के वीटी पंप और वर्टिकल टरबाइन पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही निर्बंध विद्युत संचालन सुनिश्चित करने के लिए 33 केवी का अपना सब-स्टेशन भी बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने ठेकेदार, कंसल्टेंट और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग दिन रात मेहनत करते हुए गुणवत्ता के साथ कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएँ।